रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

PART II—Section 3—Sub-section (i)
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 218] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 1995/ज्येष्ठ 5, 1917

No. 218] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26, 1995/JYAISTHA 5, 1917

वित्त, वाणिज्य और कंपनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 1995

सा. का. नि. 423 (अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (शेयर प्रमाणपत्र निर्गमन) नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (शेयर प्रमाणपत्र निर्गमन) संशोधन नियम, 1995 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (शेयर प्रमाणपत्र निर्गमन) नियम, 1960 में, नियम 4 के उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी भारतीय ओ टी सी एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी अभिरक्षक के पक्ष में जम्बो शेयर प्रमाणपत्र और प्रत्येक लाभार्थी को उसकी धृति की बाबत प्रति रसीद जारी कर सकेगा।

स्पष्टीकरण :—

उपनियम (4) के प्रयोजन के लिए अभिरक्षक से, व्यवसाय न करने वाले ऐसे क्रियाकलाप जैसे, क्रय और विक्रय को छोड़कर, कुशल रिपोर्ट करने प्रतिभूति सुरक्षित रखने और या अपने कर्मचारियों के लिए और उसकी ओर से प्रतिभूति के प्रमाणपत्र परिदान की किसी निकासी प्रणाली में भाग लेने वाली कोई सत्ता अभिप्रेत है।

[फा. सं. 1/19/92/सी.एल.—5(ए)]

आर. डी. जोशी, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल नियम सा. का. नि. 798, तारीख 30-6-1959 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। इसका 1960 में जारी सा. का. नि. 333 द्वारा अधिक्रमण किया गया और संशोधन सा. का. नि. 562 (अ), तारीख 19-8-93 और सं. 597 (अ), तारीख 28-7-94 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 1995

G.S.R. 423(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Issue of Share Certificates) Rules, 1960, namely:—

1. (i) These rules may be called the Companies (Issue of Share Certificates) Amendment Rules, 1995.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Issue of Share Certificates) Rules 1960, after sub-rule (3) of Rule 4, the following sub-rule shall be inserted namely:—

"(4) The companies listed with OTC Exchange of India, a company registered under section 25 of the Companies Act, 1956, may issue a jumbo share certificate in favour of Custodian and issue counter receipts to every allottee with respect to their holding.

Explanation :—for purposes of Sub-rule (4), "Custodian" means an entity carrying on post trade activities such as, settlement of purchases and sales, information reporting, safe keeping of securities and/or participating in any clearing system for and on behalf of the client to effect deliveries of the securities."

[F. No. 1/19/92-CL.V(A)]
R. D. JOSHI, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published vide GSR 798 dated 30-6-59, superseded by GSR 333 issued in 1960 and amended vide GSR 562(E) dated 19-8-93 and No. 597(E) dated 28-7-94.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 1995

भा. का. नि. 424(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 108 की उपधारा 1क के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (क) और खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी (केन्द्रीय सरकार का) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (केन्द्रीय सरकार का) साधारण नियम और प्ररूप (दूसरा संशोधन) नियम, 1995 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (केन्द्रीय सरकार का) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 में नियम 5-क के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(2क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत उपाबंध के में यथा वर्णित कोई कंपनी भारतीय ओ टी सी एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी कंपनी की दशा में अन्तरण का निम्नत प्ररूप 7 ख ख में होगा।

[फा. सं. 1/19/92-सी एल.-5 (ख)]
आर. डी. जोशी, संयुक्त सचिव

प्ररूप सं. 7 ख ख

भारतीय ओ टी सी एक्सचेंज

[विहित प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करने की तारीख कम्पनी (केन्द्रीय सरकार का) साधारण नियम और प्ररूप, 1956, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 108 (1क) के साथ पठित नियम 5 क के उप नियम 2 क के अनुसरण में]

प्रति रसीद और अन्तरण प्ररूप

स्क्रिप ब्यौरा — सी आर सं.
स्क्रिप कोड — स्क्रिप नाम
संव्यवहार ब्यौरा :—
सव्यवहार ब्यौरा — तारीख — समय
बाजार रचियता नाम — बाजार रचियता कोड
मात्रा — दर
मूल्य (प्रतिफल) — (अंक में)
(शब्द में)
दलालो — स्टाम्प शुल्क — कुल मूल्य
जारी कर्ता प्रति ब्यौरा — विनिधानकर्ता का ब्यौरा
प्रति कोड — विनिधानकर्ता का कोड
प्रति नाम — विनिधानकर्ता का नाम
प्रति हस्ताक्षर — विनिधानकर्ता के हस्ताक्षर
सुभिन्न संख्या — रेंज
से — को — मात्रा

अन्तरण विशिष्टयां

संख्या — रुपये

के प्रतिफल के लिए नामित अन्तरक/अन्तरकों द्वारा नामित अन्तरिती/अन्तरितियों को इस दस्तावेज में विनिर्दिष्ट

शेयरों को, उन शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन पर उक्त शेयर अन्तरक/अन्तरकों द्वारा अवधारित है और अन्तरकों/अन्तरितियों द्वारा धारित होंगे । अन्तरिती/अन्तरितियों को अन्तरण करने के लिए सहमत है। उपयुक्त शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त शेयरों को प्रतिगृहित करने और धारण करने का करार करता/करते हैं।

अन्तरक(को) (विक्रयकर्ता) /अन्तरिती(यो) (क्रयकर्ता) की विशिष्टियां

रजिस्ट्रीकृत फोलियो संख्या कोड सं.
धारक का नाम पता हस्ताक्षर (रों)
में यहां उल्लिखित साक्षी के हस्ताक्षर
में यहां उल्लिखित साक्षी का नाम और पता
अन्तरकों(को) के
हस्ताक्षर (रों) को
अनुप्रमाणित करता हूं।
हस्ताक्षर
नाम और पता/काउंटर की मुद्रा

मुख्तारनामा/ प्रोबेट/मृत्यु प्रमाणपत्र/प्रशासन का कम्पनी के साथ रजिस्ट्रीकृत पत्र संख्या तारीख
काउंटर/बैंक/कम्पनी के हस्ताक्षर (अक्षाक्षर नहीं)
द्वारा लिखाया गया शेयर प्रमाणपत्र उन्हें
लौटाया जाए
उसका नाम और पता जिसे
शेयर प्रमाणपत्र
वापस कराना अपेक्षित
है, भरें)

टिप्पण:

यदि दस्तावेज अन्तरिती के सिवाय किसी भिन्न व्यक्ति द्वारा लिखाया जाता है, केवल तभी भरा जाए।

निबंधन और शर्तें

1. यह संविदा भारतीय ओ टी सी एक्सचेंज के नियमों, उपविधियों आचार संहिता और विनियमो और देश मे तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अध्यधीन है।

2. दलाली, जहां लागू है, शासकीय मान मे अधिक की दर प्रभावित नहीं किया जा सकेगा और प्रति काउंटर विक्रय पुष्टि पर्ची में उल्लिखित किया जाएगा।

3. प्रत्येक संव्यवहार के लिए संव्यवहार फीस और विनिधानकर्ता सेवा के लिए सेवा प्रभार भारतीय ओ टी सी एक्सचेंज द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार उद्गृहीत किया जा सकेगा।

4. काउंटर रसीद केवल भारतीय ओ टी सी एक्सचेंज के प्राधिकृत काउंटर पर व्यापार के लिए विधि मान्य है।

5. काउंटर रसीद का प्रथम धारक सभी शेयर धारकों की ओर से संव्यवहार करने के लिए प्राधिकृत है। अन्य धारक सभी संव्यवहारों के लिए अपनी सहमति दिए हुए समझे जाएंगे : तथापि, शेयरों के कम्पनी पुस्तिका में विनिधानकर्ता के नाम रजिस्ट्रीकृत होने की दशा में सभी धारकों को काउंटर रसीद के भाग "ख" और अन्तरण प्ररूप में हस्ताक्षर करना होगा। शेयरों का विक्रयकर्ता/क्रयकर्ता अन्तरण प्ररूप में क्रमशः अन्तरणकर्ता अन्तरिती के रूप में हस्ताक्षर करेंगें।

6. काउंटर रसीद धारक को धारक के विकल्प पर उसका शेयर प्रमाणपत्र और विपयर्चेन के विनिमय के लिए प्राधिकृत करता है।

7. यदि विनिधानकर्ता का क्रय/धृति कम्पनी की समादत्त पूंजी या ऐसी किसी सीमा से जो समय-समय पर नियत की गई हो, 0.5 प्रतिशत अधिक नहीं होती है तो सुसंगत कम्पनी का निर्देश किए बिना अन्तरण समुचित समय के भीतर होगा।

8. अन्तरित काउंटर रसीद पर "अन्तरित रसीद" लिखा होगा । अन्तरित काउंटर रसीद संव्यवहार का कोई विस्तृत ब्यौरा उपदर्शित नहीं करेगा। अतः विनिधानकर्ता को यह सलाह दी जाती है कि अन्तरण के लिए काउंटर रसीद भेजने से पूर्व इसका पृथक अभिलेख रख ले।

9. भारतीय ओ टी सी एक्सचेंज के किसी भी व्यापारिक दस्तावेज की सुरक्षित अभिरक्षा धारक के जोखिम पर होगा । काउंटर रसीद एक बहुमूल्य दस्तावेज है और धारक से इसे सुरक्षित रखने का अनुरोध किया जाता है।

10. यदि संविदा के अनुसरण में जारी किया गया कोई चेक वापस कर लिया जाता है या कोई काउंटर रसीद या कोई भी व्यापारिक दस्तावेज अविधिमान्य पाया जाता है तो यह संविदा अकृत और शून्य घोषित किए जाने का दायी है।

11. इस संविदा से उदभूत किसी मतभेद या विवाद के दावे (चाहे स्वीकार किया गया हो या नहीं) कर दशा में भारतीय ओ टी सी एक्सचेंज के नियमों, उपविधियों और विनियमों में यथा उपबंधित के अनुसार मध्यस्थम समिति को प्रस्तुत और उसके द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

12. इस संविदा की अधिकारिता का विस्तार में जहां भारतीय ओ टी सी एक्सचेंज द्वारा प्राधिकृत काउंटर का प्रचालन है सम्पूर्ण भारत में है।

13. किसी विवाद की दशा में, किसी सदस्य या गैर सदस्य को सूचना या पत्रादि निम्नलिखित किसी एक या अधिक सभी तरीकों द्वारा शामिल तामिल किया जाएगा और नीचे (क) से (ज) के अधीन कोई सूचना या पत्रादि उसके साधारण कारबार के पते और या उसके साधारण

निवास स्थान और या उसके नवीनतम ज्ञात पते पर तामिल किया जाएगा :—

(क) इस के दस्ती परिदान के द्वारा

(ख) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज कर

(ग) डाक प्रमाणपत्र के अधीन भेज कर

(घ) दूत परिधान डाक से भेजकर

(ङ) तार द्वारा भेजकर

(च) नवीनतम ज्ञात कारबार और निवास स्थान के द्वार पर चिपका कर

(छ) किसी तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति में पत्रकार को मौखिक रूप से संसूचना द्वारा

(ज) मुम्बई में प्रकाशित किसी दैनिक समाचार पत्र में कम से कम एक बार विज्ञापन द्वारा ।

14. ऐसे सभी व्यवहार, संव्यवहार और संविदा जो एक्सचेंज के नियमों, विनियमों और उपविधियों के अध्यधीन है ऐसे प्रत्येक माध्यस्थम करार जिसे एक्सचेंज के नियम विनियम और उपविधि लागू हैं सभी को बाबत एक्सचेंज के नियमों, विनियमों और उपविधियों के अध्यधीन समझे जाएंगे और पूर्णतया किया गया/किया जाने वाली व्यवहार की गई/की जाने वाली संविदा सम्पूर्ण भारत में प्रभावी होगा/होगी और ऐसे व्यवहार, संव्यवहार, संविदा या करार का पक्षकार एक्सचेंज के नियमों, विनियमों और उपविधियों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए पूरे भारत के न्यायालयों की अधिकारिता में प्रस्तुत किए समझे जाएंगे ।

15. उक्त शेयरों के विक्रय पर अन्तरिती, कम्पनी या भारतीय ओ टी सी एक्सचेंज या इस निमित्त भारतीय ओटीसी एक्सचेंज द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति(यों) को उक्त शेयरों का ऐसे पश्चात्वर्ती व्यक्तियों जो बाद के व्यक्ति के नाम उक्त शेयरों को अन्तरित करने का निवेदन करता है अन्तरण करने के लिए उपरोक्त घोषणा को प्राधिकार के रूप में मानें ।

पाद टिप्पणी :—मूल नियम का. नि. आ. 432, तारीख 18-2-56 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका संशोधन निम्नलिखित द्वारा किया गया है :—

मूल अधिसूचना :—

1. का नि. आ. 432 क तारीख 18-2-1956

जिसका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

2. का. नि. आ. 2535 तारीख 1-11-1956
3. का. नि. आ. 3135 तारीख 21-12-1956
4. का. नि. आ. 237 तारीख 12-1-1957
5. का. नि. आ. 2105 तारीख 29-6-1957
6. का. नि. आ. 3038 तारीख 28-9-1957
7. का. नि. आ. 3867 तारीख 7-12-1957
8. सा. का. नि. 48 तारीख 22-2-1958
9. सा. का. नि. 723 तारीख 23-8-1958
10. सा. का. नि. 750 तारीख 30-8-1958
11. सा. का. नि. 1066 तारीख 1-11-1958
12. सा. का. नि. 14 तारीख 3-1-1959
13. सा. का. नि. 548 तारीख 9-5-1959
14. सा. का. नि. 1140 तारीख 17-10-1959
15. सा. का. नि. 1224 तारीख 7-11-1959
16. सा. का. नि. 1364 तारीख 12-12-1959
17. सा. का. नि. 220 तारीख 27-2-1960
18. सा. का. नि. 595 तारीख 20-5-1960
19. सा. का. नि. 195 तारीख 18-2-1961
20. सा. का. नि. 814 तारीख 24-6-1961
21. सा. का. नि. 1105 तारीख 9-9-1961
22. सा. का. नि. 1408 तारीख 25-11-1961
23. सा. का. नि. 653 तारीख 12-5-1962
24. सा. का. नि. 344 तारीख 2-3-1963
25. सा. का. नि. 628 तारीख 13-4-1963
26. सा. का. नि. 97 तारीख 16-1-1965
27. सा. का. नि. 822 तारीख 12-6-1965
28. सा. का. नि. 1570 तारीख 30-10-1965
29. सा. का. नि. 368 तारीख 19-3-1966
30. सा. का. नि. 421 तारीख 18-3-1966
31. सा. का. नि. 499 तारीख 9-4-1966
32. सा. का. नि. 743 तारीख 21-5-1966
33. सा. का. नि. 847 तारीख 4-6-1966
34. सा. का. नि. 1262 तारीख 13-8-1966
35. सा. का. नि. 130 तारीख 20-1-1968
36. सा. का. नि. 667 तारीख 30-6-1973
37. सा. का. नि. 327 (अ) तारीख 10-6-1975
38. सा. का. नि. 414 (अ) तारीख 16-7-1975
39. सा. का. नि. 2596 तारीख 1-11-1975
40. सा. का. नि. 2828 तारीख 13-12-1975
41. सा. का. नि. 154 तारीख 31-1-1976
42. सा. का. नि. 248 (अ) तारीख 24-3-1976
43. सा. का. नि. 627 तारीख 14-5-1977
44. सा. का. नि. 24 तारीख 9-1-1979
45. सा. का. नि. 1256 (तारीख 6-10-1979
46. सा. का. नि. 555(अ) तारीख 4-9-1982
47. सा. का. नि. 479 (अ) तारीख 22-4-1988
48. सा. का. नि. 694(अ) तारीख 10-6-1988
49. सा. का. नि. 782(अ) तारीख 13-7-1988
50. सा. का. नि. 908(अ) तारीख 7-9-1988
51. सा. का. नि. 1082(अ) तारीख 26-10-1988
52. सा. का. नि. 449(अ) तारीख 17-4-1989
53. सा. का. नि. 510(अ) तारीख 24-5-1990
54. सा. का. नि. 195 (अ) तारीख 18-9-1990
55. सा. का. नि. 289(अ) तारीख 31-5-1991
56. सा. का. नि. 614 (अ) तारीख 1-10-1991
57. सा. का. नि. 754(अ) तारीख 26-12-1991
58. सा. का. नि. 312 (अ) तारीख 6-3-1992
59. सा. का. नि. 353(अ) तारीख 26-3-1992

60. सा. का. नि. 484(अ) तारीख 11-5-1992
61. सा. का. नि. 581 (अ) तारीख 27-8-1993
62. सा. का. नि. 621 (अ) तारीख 24-9-1993
63 सा. का. नि. 286(अ) तारीख 1-3-1994
64. सा. का. नि. 598(अ) तारीख 29-7-1994
65. सा. का. नि. 697(अ) तारीख 20 9-1994
66. सा. का. नि. 233(अ) तारीख 23-3-1995

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 1995

G.S.R. 424(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (i) of section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with Sub-section 1A of Section 108, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956 namely:—

1. (i) These Rules may be called the Companies Central Government's) General Rules and Forms (Second Amendment) Rules, 1995.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956 after sub-rule (2) of Rule 5-A, the following sub-rule shall be inserted, namely,—

"(2A) An instrument of transfer shall be in Form 7BB in case of companies listed with OTC Exchange of India, a company registered under section 25 of the Companies Act, 1956, as set forth in Annexure A."

[F. No. 1|19|92-CL.V(B)]

R. D. JOSHI, Jt. Secy.

Annexure 'A'

Form No. 7BB

OTC Exchange of India

Date of presentation to the prescribed authority

[Pursuant to Sub-rule 2A of Rule 5A Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956 read with Section 108 (1A) of the Companies Act, 1956.]

Counter Receipt & Transfer Form

Scrip details: C.R. No. : ———

Scrip Code: Scrip Name: ———

Transaction details:-

Transaction———Date: Time : ———

Market Maker Name :——— Market Maker Code ———

Quantity: ——— Rate: ———

Value (Consideration) (in figures) ———

(in words) ———

Brokerage:———Stamp Duty:———Total Value———

Issuing Counter details: Investor's details:

Counter Code:——— Investor's Code: ———

Counter Name:——— Investor's Name ———

Counter's Signature:——— Investor's Signature: ———

Distinctive Number Range:

From	To	Quantity

TRANSFER PARTICULARS

For the consideration of Rs.————————————(Rupees————————————————————) the Transferor(s) named to hereby agree to transfer to the transferee(s) to be named, the shares specified in this document, subject to the conditions on which the said shares are now held by the transferor(s) and to be held by the transferee(s) do hereby agree to accept and hold the said shares subject to the conditions aforesaid:

Transferor(s) (Seller)/Transferee(s) (Buyer) Particulars

Regd. Folio No. Code No.

Name of the Holders	Address	Signature(s)
———————————	———————————	———————————
———————————	———————————	———————————
———————————	———————————	———————————

Attestation:

I hereby attest the Signature of the Transferor(s) herein mentioned

———————————
Signature of witness
Name and Address of Witness

———————————

———————————

Signature

———————————

Name & Address/Seal of the Counter

———————————

Power of Attorney/Probate/Death Certificate/Letter of Administration registered with the Company No.————
Date————————

Signature (not initials) of †Counter/Bank/Company)

*Lodged by ————————————————Share Certificates to be returned to

(Fill in the name and address to which the certificates are required to be returned)

*Note: To be filled only if the documents are lodged by a person other than the transferee.

†Note: Counter means and include Members and Dealers of OTCEI.

Terms and Conditions:—

1. This contract is made subject to the Rules, Bye-laws, Code of Conduct and Regulations of OTC Exchange of India and the provisions of the laws of the land for the time being in force.
2. Brokerage, where applicable, may be charged at the rates not exceeding the official scale and will be indicated in the Counter Receipt|Sale Confirmation Slip.
3. Transaction fees for every transaction and service charges investor services may be levied as per the rates specified by OTC Exchange of India from time to time.
4. The Counter Receipt (CR) is valid for trading only at the authorised counters of OTC Exchange of India.
5. The CR authorises the holder to exchange the same for Share Certificates and vice versa, at the option of the holder.
6. The first holder of a CR is authorised to transact on behalf of all the holders. The other holders will be deemed to have given their consent for all transaction. However, all the holders will have to sign on Part B of the

Counter Receipt and transfer form, in case the shares are registered in the Company's books in the investors' name. The seller|buyer of shares will sign the transfer form as transferor|transferee respectively.

7. Transfer would take place, within reasonable time, without reference to the relevant company, if the investor's purchase| holding does not exceed 0.5% of the Company's paid up capital or such other limit, as may be stipulated from time to time.

8. The transferred CR will bear the words 'Transferred CR' on the CR. The transferred CR will not indicate the details of the transaction, therefore the investor is advised to keep a record of it separately before sending in the CR for transfer.

9. Safe custody of any trading document of OTC Exchange of India is at the risk of the holder. The CR is a very valuable document and the holder is requested to keep it safely.

10. If a cheque issued in pursuance of the contract is dishonoured or a CR or any other trading document is found invalid, the contract is liable to be declared null and void.

11. In the event of any claim (whether admitted or not) difference or dispute arising out of this contract, the matter shall be submitted to and decided by the Arbitration Committee as provided in the Rules, Bye-laws and Regulations of OTC Exchange of India.

12. The jurisdiction of this contract extends to the whole of India where counter authorised by OTC Exchange of India operate.

13. In case of any dispute, notice and communications to a member or non-members shall be served in any one or more all of the following ways and any such notice or communication under (a) to (h) below shall be served at his ordinary business address and|or at his ordinary place of residence and|or at his last known address:—

(a) by delivering it by hand.
(b) by sending it by registred post.
(c) by sending it under certificate of posting.
(d) by sending it by express delivery post.
(e) by sending it by telegram.
(f) by affixing it on the door at the last known business and residential address.
(g) by its oral communication of the party in the presence of third person.
(h) by advertising it at least once in any daly newspaper published by Bombay.

14. All dealing transactions and contracts which are subject to the Rules, Regulations and Bye-laws of the Exchange and every arbitration agreement to which the Rules, Regulations and Bye-laws of the Exchange apply shall be deemed in all respects to be subject to the Rules, Regulations and Bye-laws of the Exchange and shall take effect as wholly made, entered into and to be performed in the whole of India and the parties to such dealings, transactions, contracts or agreements shall be deemed to have submitted to the jurisdiction of the Courts all over India for the purpose of giving effect to the Rules, Regulations and Bye-laws of the Exchange.

15. Upon the sale of the said shares, the transferee authorises the company or OTC Exchange of India or any person(s) authorised by OTC Exchange of India in this regard, to treat the above declaration as authorty for transferring the said shares to the subsequent person(s) who request the said shares to be transferred in the latter's name.

Foot Note : The Principal rules were published vide S.R.O. 432A dated 18-2-56 and amended—

Principal Notification:—

1. SRO 432A dated 18-2-1956
Subsequently amended by—
2. SRO 2535 dated 1-11-1956
3. SRO 3135 dated 21-12-1956
4. SRO 237 dated 19-1-1957
5. SRO 2105 dated 29-6-1957
6. SRO 3038 dated 28-9-1957
7. SRO 3867 dated 7-12-1957
8. SRO 48 dated 22-2-1958
9. GSR 723 dated 23-8-1958
10. GSR 750 dated 30-8-1958
11. GSR 1066 dated 1-11-1958
12. GSR 14 dated 3-1-1959
13. GSR 548 dated 9-5-1959
14. GSR 1140 dated 17-10-1959
15. GSR 1224 dated 7-11-1959
16. GSR 1364 dated 12-12-1959
17. GSR 220 dated 27-2-1960

18. GSR 595 dated 28-5-1960
19. GSR 195 dated 18-2-1961
20. GSR 814 dated 24-6-1961
21. GSR 1105 dated 9-9-1961
22. GSR 1408 dated 25-11-1961
23. GSR 653 dated 12-5-1962
24. GSR 344 dated 2-3-1963
25. GSR 628 dated 13-4-1963
26. GSR 97 dated 16-1-1965
27. GSR 822 dated 12-6-1965
28. GSR 1570 dated 30-10-1965
29. GSR 368 dated 19-3-1966
30. GSR 421 dated 18-3-1966
31. GSR 499 dated 9-4-1966
32. GSR 743 dated 21-5-1966
33. GSR 847 dated 4-6-1966
34. GSR 1262 dated 13-8-1966
35. GSR 130 dated 20-1-1968
36. GSR 667 dated 30-6-1973
37. GSR 327(E) dated 10-6-1975
38. GSR 414(E) dated 16-7-1975
39. GSR 2596 dated 1-11-1975
40. GSR 2828 dated 13-12-1975
41. GSR 154 dated 31-1-1976
42. GSR 248(E) dated 24-3-1976
43. GSR 627 dated 14-5-1977
44. GSR 24(E) dated 9-1-1979
45. GSR 1256 dated 6-10-1979
46. GSR 555(E) dated 4-9-1982
47. GSR 479(E) dated 22-4-1988
48. GSR 694(E) dated 10-6-1988
49. GSR 782(E) dated 13-7-1988
50. GSR 908(E) dated 7-9-1988
51. GSR 1082(E) dated 26-10-1988
52. GSR 449(E) dated 17-4-1989
53. GSR 510(E) dated 24-5-1990
54. GSR 795(E) dated 18-9-1990
55. GSR 289(E) dated 31-5-1991
56. GSR 614(E) dated 3-10-1991
57. GSR 754(E) dated 26-12-1991
58. GSR 312(E) dated 6-3-1992
59. GSR 353(E) dated 26-3-1992
60. GSR 484(E) dated 11-5-1992
61. GSR 581(E) dated 27-8-1993
62. GSR 621(E) dated 24-9-93
63. GSR 286(E) dated 1-3-94
64. GSR 598(E) dated 28-7-94
65. GSR 697(E) dated 20-9-94
66. GSR 283(E) dated 23-1-95

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995